

(आयकर)

का.आ. 3156(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दिनांक 3 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 732(अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :

1. उक्त अधिसूचना में :

(i) अनुसूची-1 में, क्रम संख्या 179 एवं 182 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
179.	आयकर आयुक्त- जयपुर III	जयपुर, राजस्थान राज्य में— (क) जयपुर जिला (कोठपुतली तहसील से भिन्न) जो आयकर आयुक्त, जयपुर-I तथा आयकर आयुक्त, जयपुर-II के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है (ख) जयपुर जिला (कोठपुतली	राजस्थान राज्य में— (क) जयपुर जिला (कोठपुतली तहसील से भिन्न) जो आयकर आयुक्त, जयपुर-I तथा आयकर आयुक्त, जयपुर-II के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है (ख) जयपुर जिला (कोठपुतली	(क) कंपनियों से भिन्न, कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं. (ख) कंपनियों से भिन्न, कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है, (ग) कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं तथा कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में अपना पंजीकृत कार्यालय रखती है। (घ) कंपनियों से भिन्न, कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय	(क) कालम (5) की मद (क), (ख) एवं (ग) में उल्लिखित व्यक्ति जो ऐसे व्यक्तियों से भिन्न हैं जिनकी आय का प्रधान स्रोत आयकर अधिनियम की धारा 44 कक के अंतर्गत बोर्ड द्वारा उल्लिखित या अधिसूचित पेशा से या "वेतन" से है। (क) कालम (5) की मद (घ) एवं (ङ) में उल्लिखित व्यक्ति तथा जिनके आय का प्रधान स्रोत कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरी या वास्तुशिल्प

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		तहसील से भिन्न)	आहरित करते हैं तथा कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं;		पेशा या लेखांकन अथवा तकनीकी परामर्श अथवा आंतरिक साजसज्जा के पेशा अथवा किसी अन्य पेशा से है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 कक (1) के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में बोर्ड द्वारा अधिसूचित है;
			(ड) कालम (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं तथा कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में अपना पंजीकृत कार्यालय रखती हैं।		
		(ग) जयपुर जिला (कोठपुतली तहसील से भिन्न)	(च) कंपनियों से भिन्न, कालम (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं;		(ग) ऐसे व्यक्ति जिनका नाम 'एम' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' अक्षर से शुरू होता है तथा जिनकी आय का प्रधान स्रोत "वेतन" से है।
		(घ) झुंझनू, चुरू, सीकर एवं टोंक जिले	(छ) कंपनियों से भिन्न, कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा कालम (4) की मद (घ) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं;		(घ) कालम (5) की मद (छ), (ज) एवं (झ) की समतुल्य प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
			(ज) कंपनियों से भिन्न, कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (घ) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;		
			(झ) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं तथा कालम (4) की मद (घ) में उल्लिखित क्षेत्र में अपना पंजीकृत कार्यालय रखती हैं।		
182. आयकर आयुक्त, कोटा	कोटा	राजस्थान राज्य में— (क) बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारन, सवाईमाधोपुर, करौली जिले एवं	(क) कंपनियों से भिन्न, कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा कालम (4) की मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं;		(क) कालम (5) की मद (क), (ख) एवं (ग) की समतुल्य प्रविष्टियों में उल्लिखित सभी व्यक्तियों के सभी मामले।
			(ख) कंपनियों से भिन्न, कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा		

(1)	(2)	(3)	(ख) (क) तौड़गढ़ जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4)	(6)
		जिले में	की मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित	
		बेगुन तहसील	भौगोलिक क्षेत्र में हैं;	
		का रावतभाटा	(ग) कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित	
		कस्बा	व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 के	
			अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं तथा कालम (4)	
			की मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित क्षेत्र	
			में अपना पंजीकृत कार्यालय रखती हैं ।	

यह अधिसूचना 1-1-2010 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 92/2009/फा. सं. 187/02/2009-आईटीए-1]

रमन चोपड़ा, निदेशक (आईटीए-1)

टिप्पणी :—प्रधान अधिसूचना का.आ. 732(अ) दिनांक 3 जुलाई, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई तथा का.आ. 742(अ) दिनांक 16-3-2009 के तहत आखिरी बार संशोधित की गई ।